

देश क्रमांक

आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर

आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित

अभिलेख उपस्थापित अंचल अधिकारी, के पत्रांक के दिनांक 13/01/18 के द्वारा अभिलेख सं० 410/16-17 प्राप्त हुआ है जिसमें अंचल अधिकारी, द्वारा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत कार्रवाई करते हुए संपूर्ण जॉच के उपरांत इस वाद में कायम जमाबंदी को वैध ठहराते हुए BLRA 1950 के धारा 4(h) के तहत कार्रवाई समाप्त करने के उपरांत सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 05/स० भू० को० (अवैध हस्तांतरण) 123/2016-2861/रा० दिनांक 08.06.17 के आलोक में पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने से संबंधित निम्न भूमि का अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जाति
1	2	3	4	5	6
खिखी	60	33	362/5, 252 82, 314/1	4.00 ए, 0.20 ए 0.14 ए, 0.25 ए	08E3H

अतः अंचल अधिकारी, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एवं सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं० 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के निदेशानुसार श्री/श्रीमती/सुश्री सुरकुशीन सांखी देवी पिता देव प्रसाद सांखी देवी ग्राम खिखी के नाम से पंजी ii में दर्ज एवं अनुशंसित उपरोक्त भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु अनुशंसा किया जाता है। तथा निर्गत शुद्धि पत्र की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार प्रस्तावित भूमि की पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

23.1.2018
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
खूटी।

24.1.2018
अनुमंडल पदाधिकारी,
खूटी।